दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद की अनंतिम मेरिट सूची जारी

» 6 दिसम्बर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ ग्रामीण अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र बरपाली-02, ग्राम पंचायत बरपाली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के नियुक्ति हेतु अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया गया है। जिसका अवलोकन परियोजना एवं जनपद पंचायत रायगढ़ कार्यालय के सूचना पटल में कर सकते है। अनंतिम चयन सूची पर किसी भी आवेदिका को कोई आपत्ति हो तो वे 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2021 तक दावा-आपत्ति परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ ग्रामीण में कर सकते है।

शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायगढ़ के द्वारा 24 नवम्बर को नगरीय निकाय चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इस संबंध में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह ने आदेश जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि निर्वाचन घोषणा होने की तिथि 24 नवम्बर 2021 से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य, रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में स्थित शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते है और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकते है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मतपत्र मुद्रण कार्य हेतु 4 दिसम्बर तक निविदा आमंत्रित

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला रायगढ़ में होने वाले नगर पालिका/त्रिस्तरीय पंचायत के आम/उप निर्वाचन के लिए मतपत्रों के मुद्रण हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गई है। जिसके तहत निविदा फार्म 100 रुपये जमा कर स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से निविदा प्रकाशन से 4 दिसम्बर को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित फार्म में पूर्ण रूप से भरी निविदा स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में 4 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक ही प्राप्त की जाएगी और उसी दिन अपरान्ह 4 बजे कक्ष क्रमांक 21 जिला कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। मुद्रण के लिए कागज निर्वाचन कार्यालय रायगढ़ से उपलब्ध कराये जायेंगे। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय के उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)रायगढ़ से संपर्क कर सकते है।

कलेक्टर के अनुमति बिना अवकाश पर नहीं जायेंगे अधिकारी-कर्मचारी

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही निर्वाचन की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भीम सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव 2021 की कार्यवाही संपन्न होते तक सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, केन्द्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ अथवा उनके अधिकृत कर्मचारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

अस्पतालों में डॉक्टर्स निर्धारित समय में ड्यूटी पर रहें मौजूद-कलेक्टर भीम सिंह

» कलेक्टर सिंह ने ली स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक

रायगढ़। शासकीय अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात सभी डॉक्टर्स अपने निर्धारित समयानुसार अस्पतालों में ड्यूटी में उपस्थित रहेंगे जिससे वहां आने वाले मरीजों को नियमित रूप से उपचार व स्वास्थ्य सेवाएं मुहैय्या हो। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में कही। कलेक्टर सिंह जिले में पदस्थ सभी शासकीय चिकित्सकों के ओपीडी तथा आईपीडी मरीजों के उपचार संबंधी जानकारी पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सभी चिकित्सकों को उनके द्वारा जांच किए गए ओपीडी तथा आईपीडी की पूरी जानकारी ऑनलाईन भी अपडेट करने के लिए निर्देशित किया।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में विकासखण्डवार हाट-बाजार क्लीनिक के संचालन की समीक्षा की। उन्होंने हाट-बाजार क्लीनिक के माध्यम से मलेरिया, एचआईवी, टीबी आदि सभी निर्धारित जांच के आंकड़ों की समीक्षा की। उन्होंने प्रति कैम्प अधिक से अधिक मरीजों की जांच करते हुए सभी प्रकार के टेस्ट मरीजों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हाट-बाजार क्लीनिक में महिलाओं की जांच के लिए विशेष व्यवस्था रखने के लिए कहा। साथ ही प्रत्येक हाट-बाजार के लिए डेडीकेटेड वाहन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया। बैठक के दौरान कलेक्टर सिंह ने जिला प्रशासन द्वारा वितरित आदर्श हेल्थ कार्ड धारियों से चर्चा की। उन्होंने हाट-बाजार क्लीनिक में हेल्थ कार्ड के माध्यम से जांच में आसानी व सुविधा के संबंध में उनके फीडबैक लिए। साथ ही उन्हें कहा कि कार्ड में डॉक्टर द्वारा लिखे दवा का नियमित सेवन करते हुए निर्देशों का पालन करें तथा उनके द्वारा बताए तारीखों को फिर से जांच जरूर करवायें।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने धरमजयगढ़ सिविल अस्पताल के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जतायी और निर्माण कार्य करवा रहे हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारी को काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में ब्लड बैंक तथा लैब का काम प्राथमिकता से पूरा करने के लिए कहा। साथ ही सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी बैठकों से निर्माण कार्यों की समीक्षा फोटो प्रजेन्टेशन के माध्यम से की जाएगी, जिससे अद्यतन स्थिति का पता चले। उन्होंने सस्ती दवा दुकान संचालन की भी समीक्षा की तथा उसके उचित स्थानों पर व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने कोविड को ध्यान में रखते हुए सेम्पलिंग व टेस्टिंग नियमित रूप से लक्ष्य अनुसार जारी रखने के लिए कहा। पॉजीटिव आने वाले मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग पर भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। जिससे मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री के अनुसार कांटेक्ट में आये लोगों की तत्काल जांच करायी जा सके। बैठक में कलेक्टर सिंह ने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के क्रियान्यवन की जानकारी ली। उन्होंने कमजोर प्रदर्शन वाले अस्पतालों पर गहरी नाराजगी जतायी और इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने अस्पतालों में डॉक्टर तथा एएनएम की पदस्थापना संबंधी जानकारी ली। उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ एएनएम तथा लैब टैक्नीशियन की तैनाती आवश्यकतानुसार सभी संबंधित अस्पतालों में करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी सहित सभी बीएमओ, बीपीएम एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने जिला पंचायत का किया औचक निरीक्षण: 20 कर्मचारी मिले अनुपस्थित

» अनुपस्थित कर्मचारियों के एक दिन का वेतन काटने के कलेक्टर सिंह ने दिए निर्देश

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज जिला पंचायत का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के उपस्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान 20 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर सिंह ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए उनके एक दिन का वेतन काटने के निर्देश एडिशनल सीईओ बी तिग्गा को दिये। कलेक्टर सिंह ने कहा कि कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित रहकर आने दायित्वों का निर्वहन करना सभी कर्मचारियों की मुख्य जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।

विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 3 व 4 दिसम्बर को

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के युवाओं को विशेष अवसर एवं मंच प्रदान करने, सांस्कृतिक गतिविधियों से युवाओं का जोड़ने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में युवा उत्सव का आयोजन विकासखण्ड से जिला स्तर व जिला से राज्य स्तर पर किया जाता है। इसी तारतम्य में रायगढ़ में 3 एवं 4 दिसम्बर 2021 को विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन, रायगढ़ स्टेडियम, बोईरदादर रोड में किया जाएगा।

युवा उत्सव में 37 विधाओं का आयोजन 15 से 40 एवं 40 से अधिक आयु वर्ग में किया जाना है। जिसमें लोकनृत्य, लोकगीत, एकांकी नाटक (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा), शास्त्रीय गायन हिन्दुस्तानी शैली, शास्त्रीय गायन कर्नाटक शैली, सितार वादन (शास्त्रीय वादन), बांसुरी वादन (शास्त्रीय वादन), तबला वादन (शास्त्रीय वादन), वीणा वादन (शास्त्रीय वादन), मृदंगम वादन (शास्त्रीय वादन), हारमोनियम वादन (सुगम वादन), गिटार वादन (भारतीय या पाश्चात्य संगीत), मणीपुरी (शास्त्रीय नृत्य), ओडीसी (शास्त्रीय नृत्य), भरतनाट्य (शास्त्रीय नृत्य), कत्थक (शास्त्रीय नृत्य), कुचीपुड़ी (शास्त्रीय नृत्य), वक्तृत्व कला (तात्कालिक भाषण)विधा को शामिल किया गया है।

इसी तरह पारम्पिरिक एवं अन्य गतिविधियों में सुआ, पंथी, करमा नाचा, सरहुल नाचा, बस्तरिहा लोकनृत्य (ट्राईबल डांस), राउत नाचा, फुगड़ी, भौंरा, गेड़ी दौड़/चाल, रॉक बैंड (सीधे राज्य स्तर पर सम्मिलित किया जाएगा), पारम्परिक वेशभूषा (विविध वेशभूषा) प्रतियोगिता, फूड फेस्टिवल-छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के आधार पर प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता-छत्तीसगढ़ी के लोक संस्कृति के चित्रण के आधार पर, वाद-विवाद (तात्कालिक/समसामयिक विषय), क्विज, निबंध, कबड्डी, खो-खो शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणानुसार राज्य के लोक साहित्य को भी शामिल किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य विविध संस्कृति एवं विविध बोलियों वाला प्रदेश है, अतः जिला स्तर पर स्थानीय लोक कला (जैसे पेंटिंग, हैण्डीक्राफ्ट, भित्तीचित्र एवं अन्य), लोक भाषा का साहित्य जैसे गोंडी, हल्बी, कुडूक आदि एवं अन्य सभी लोक भाषा के जो भी लोक कलाकार प्रस्तुति देना चाहें यदि वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हों, उन सभी को जिला स्तर पर शामिल किया जाएगा।

आचार संहिता लागू क्षेत्र के शस्त्र लायसेंसीधारी अपने अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के अंदर करें जमा

» नगरीय निकाय आम/उप निर्वाचन 2021

रायगढ़। नगरीय निकाय आम/उप चुनाव 2021 के तहत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 के पार्षद पद हेतु आगामी 20 दिसम्बर को मतदान एवं 23 दिसम्बर 2021 को मतगणना होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह ने निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन संपन्न कराने हेतु नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवाने हेतु निर्देशित किया है। ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।

कलेक्टर सिंह ने नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के अंदर जमा करायें, इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र रायगढ़ नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा करा सकते है, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते है, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।

ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिए जाने वाले आवेदन इस आदेश के जारी होने के 7 दिवस के भीतर कलेक्ट्रेट रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 17 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। यह आदेश 24 नवम्बर 2021 को जारी किया गया है तथा आदेश उस दिनांक से प्रभावशील होगा।

26 नवम्बर संविधान दिवस पर पूर्वान्ह 11 बजे होगा संविधान के प्रस्तावना का पाठ

रायगढ़। भारत सरकार द्वारा डॉ.बी.आर.अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। डॉ.अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है।

इस वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर 2021 मनाये जाने हेतु भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा निम्न वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है। जिसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका)के ऑनलाइन पाठन हेतु https://readpreamble.nic.in संवैधानिक लोकतंत्र के संबंध में ऑनलाईन क्वीज हेतु https://constitutionquiz.nic.in यह वेबपोर्टल 26 नवंबर 2021 को उपलब्ध रहेगा तथा इसमें भारत के सभी नागरिक भाग लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी आदेश के तहत कोविड-19 के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों, संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों में दिनांक 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस के अवसर पर पूर्वान्ह 11 बजे संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) के ऑनलाइन पाठन हेतु निर्मित वेब पोर्टल को ओपन कर भारतीय संविधान के प्रस्तावना को पढ़ा जावे।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु निर्देश जारी

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह ने नगरीय निकाय आम/उप चुनाव 2021 की घोषणा तिथि उपरांत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण से निषिद्ध किया है।

ध्वनि विस्तारक यत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।

चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है परंतु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिक निगम/परिषद एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में प्रभावशील रहेगा।

आवासीय विद्यालय झगरपुर व जमरगा में स्टीम कुकिंग सिस्टम से बन रहा छात्राओं के लिए भोजन

रायगढ़। राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित जिले में लैलूंगा व धरमजयगढ़ विकासखंड के दो शासकीय आवासीय विद्यालय ऐसे है जहां अध्ययनरत लगभग 200 से अधिक छात्राओं के लिए स्टीम कुकिंग सिस्टम से शुद्ध व पौष्टिक खाना बनता है।

जिले के शासकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय झगरपुर विकासखंड लैलूंगा एवं शासकीय आवासीय विद्यालय जमरगा विकासखंड धरमजयगढ़ विद्यालय में कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक अध्ययनरत लगभग 200 छात्राओं के लिए एक साथ एक ही समय में खाना तैयार किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि यह स्टीम कुकिंग सिस्टम शासन के डीएमएफ फंड के सहयोग से प्राप्त हुआ है। जिले के इन दो आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत इन छात्राओं के लिए प्रतिदिन एक ही समय में कम लागत व कम समय में खाना तैयार करना एक चुनौती से कम नहीं थी। किन्तु स्टीम कुकिंग उपकरण सिस्टम द्वारा अब इन विद्यालयों में धुंआ रहित वातावरण में एक ही समय में कम लागत व कम समय में, भाप से पके गरम पौष्टिक चावल, दाल व सब्जी उपलब्ध हो रही हैं। पारंपरिक तरीके से खाना बनाने की जगह अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक, कम लागत व कम समय में एक साथ अधिक मात्रा में भोजन तैयार करने की यह नवाचारी स्टीम कूकिंग उपकरण सिस्टम की अपनी उपयोगिता व विशेषता है। स्टीम कुकिंग सिस्टम के जरिए यहां खाना बनाया जाने से जहां लागत और समय दोनों की बचत तो हो रही है साथ में एक साथ इतनी छात्राओं को भाप से बना पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध हो रहा है। उल्लेखनीय है कि स्टीम कुकिंग सिस्टम में खाना बनाने वालों रसोइयों को इन नवाचारी स्टीम कूकिंग सिस्टम में खाना तैयार के लिए बकायदा प्रशिक्षित भी किया गया है।

कैसे तैयार होता है यहां खाना– स्टीम कुकिंग सिस्टम में बड़े-बड़े कंटेनर लगे होते होते हैं जिनमें भाप से भोजन तैयार किया जाता है। इसमें बॉयलर और स्टीम जनरेटर एक बड़ा पतीला भी लगा होता है जिसमें कम मात्रा में लकड़ी इंधन के दहन के द्वारा मिलने वाली ऊष्मा के उपयोग से पानी को गर्म कर भाप तैयार किया जाता है। उपकरण में लगे वाल्व के जरिए खाना पकाने के लिए आवश्यक ऊष्मा व दाब वाली भाप को जेनरेट व नियंत्रित कर खाना पकाने वाले कंटेनर की ओर प्रवाहित किया जाता है। जहां खाना पकाने वाले कंटेनरों में धुले कच्चे चावल, दाल व सब्जियों को इस भाप के द्वारा पकाया जाता है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480